

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 175/2021

दिनांक : 15.11.2021

निर्णय:-



प्रार्थी श्री.....किशनलाल.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....श्रीपाराम
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....जासासर.....पटवार मण्डल.....जासासर
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....2071-74.....के खाता संख्या.....159.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....बालू पुत्र श्रीपाराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से.....किशनलाल पुत्र श्रीपाराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....जासासर.....से करवाने पर पटवारी ने.....बालू पुत्र श्रीपाराम.....के
बजाय.....किशनलाल पुत्र श्रीपाराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....बालू पुत्र श्रीपाराम
के बजाय.....किशनलाल पुत्र श्रीपाराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....जासासर
के खाता संख्या.....159.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....बालू पुत्र श्रीपाराम
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....किशनलाल पुत्र श्रीपाराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

110/20 (62)

16.11.2021

15/11/21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

